भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4391

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक और गैर-पेयजल प्रयोजनों के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग

†4391. डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री प्रवीण पटेलः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री महेश कश्यपः
श्री राजकुमार चाहरः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार और शहर-वार, विशेषकर बस्तर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में, औद्योगिक और गैर-पेयजल प्रयोजनों के लिए पुनर्चक्रित जल के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए 'शोधित प्रयुक्त जल नीतियों' को सफलतापूर्वक अधिसूचित करने वाले शहरों/कस्बों की संख्या कितनी है,

(ख) राजस्थान के राजसमन्द लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के बस्तर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के परिधीय शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) के कार्यान्वयन अथवा स्थापना के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), राज्यों या पंचायतों को क्या राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं;

(ग) राजस्थान सहित देश के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के जल चक्रीयता में अंतराल की पहचान करने में 'पेयजल सर्वेक्षण' के क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का पेयजल सर्वेक्षण के आधार पर कोई योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) अनुमोदित परियोजनाओं, आवंटित निधि और उनके कार्यान्वयन की राज्य-वार और जिला-वार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 'अमृत' योजना अथवा किन्हीं अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (च): जल और स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह विभिन्न मिशनों/योजनाओं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

शहरी क्षेत्रों में जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से उपयोग किए गए शोधित पानी का पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अब तक, 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ ने अपशिष्ट जल/उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण पर अपनी नीति अधिसूचित की है।

अमृत के तहत, 34,467 करोड़ रुपये की कुल 889 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं की नींव रखी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से, शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के लिए 1,437 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता विकसित की गई है। अमृत के तहत, राजस्थान के राजसमंद लोक सभा क्षेत्र (ब्यावर यूएलबी) में 11.5 एमएलडी एसटीपी क्षमता के विकास और पुन: उपयोग के लिए 125.63 करोड़ रुपये की एक सीवरेज/सेप्टेज परियोजना और छत्तीसगढ़ के बस्तर लोक सभा क्षेत्र (जगदलपुर यूएलबी) में 25 एमएलडी एसटीपी क्षमता के विकास और पुन: उपयोग हेतु 55.91 करोड़ रुपये की 04 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया गया है, ताकि शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में सक्षम बनाया जा सके।

अमृत 2.0 की परिकल्पना शोधित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण, आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए शहरी जल संतुलन आयोजना के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।

अमृत 2.0 के तहत, अब तक 66,117.69 करोड़ रुपये की 583 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 6,649 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धन) और पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए 1,931 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता शामिल है। राजस्थान के राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में, राज्य ने ब्यावर यूएलबी में 80.55 करोड़ रुपये की एक सीवरेज/सेप्टेज परियोजना शुरू की है, जिसमें 5.6 एमएलडी एसटीपी क्षमता का विकास और पुन: उपयोग शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य ने अमृत 2.0 के तहत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में अब तक कोई सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना शुरू नहीं की है। अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार और जिला-वार विवरण वेबसाइट लिंक **https://amrut.mohua.gov.in/approvedProjects/state** पर उपलब्ध है।

अमृत 2.0 के तहत पेयजल सर्वेक्षण जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, आदि की गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज का आकलन करने का एक साधन है। अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सतत आधार पर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल हेतु सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का फोकस क्षमता निर्माण और शोधित अपशिष्ट जल में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। चक्रीयता को संस्थागत बनाने के लिए, संसाधन वसूली हस्तक्षेपों की आयोजना, निगरानी और पैमाने पर इस पहल के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल संसाधन वसूली प्रकोष्ठ (डब्ल्यूआरआरसी) स्थापित किए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत, राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार बुनियादी ढांचे के संवर्धन/बहाली सहित उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन करने का अधिकार प्राप्त है। अमृत 2.0 में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों सहित शहरी जल संतुलन योजनाओं (सीडब्ल्यूबीपी) को तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें जल आपूर्ति प्रणालियों का मूल्यांकन शामिल है जो शहरों/यूएलबी को अंतराल की पहचान करने और अंतराल मूल्यांकन के अनुसार प्रणाली-सुदृढ़ीकरण उपायों को प्राथमिकता देने में मदद करता है।

ग्रेवाटर प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के अभिन्न घटकों में से एक है, जो भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। एसबीएम (जी) चरण-

II दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यक्तिगत पारिवारिक संपत्तियों जैसे कि सोख्ता गड्ढे, लीच-पिट, किचन गार्डन, आदि और जहां संभव हो, वहां सामुदायिक सोख्ता गड्ढों के माध्यम से अथवा अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, निर्मित आर्द्रभूमि, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) आदि जैसी अन्य तकनीकों के माध्यम से ग्रेवाटर प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है।

एसबीएम (जी) चरण-II दिशानिर्देशों के अनुसार, 5000 से अधिक आबादी वाले बड़े गांवों में ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए, ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति 660 रुपये (राज्य के हिस्से सहित) तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। 5000 से कम या उसके बराबर आबादी वाले गांवों के लिए, ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणालियों के लिए 280 रुपये प्रति व्यक्ति (राज्य के हिस्से सहित) तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राजस्थान राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 17.03.2026 तक 42,820 (98.5%) गांवों को ग्रेवाटर प्रबंधन व्यवस्था से कवर किए जाने की सूचना है।

एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 17.03.2026 तक 18,739 (95%) गांवों को ग्रेवाटर प्रबंधन व्यवस्था से कवर किए जाने की सूचना है।
